लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–402023

क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2025-26/ 283 भोपाल, दिनांक 4/9/2025

प्रति

1. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
2. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/ हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषयः- शैक्षणिक सत्र 2025-26 मे विद्यालय में उपस्थित अतिथि शिक्षकों के ऑनलाईन मानदेय जनरेट कर भुगतान करने के संबंध में।

संदर्भ- संचालनालय का पत्र क्र/199 **दिनांक** 26.06.2025।

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र **2025–26** में विद्यालय में रिक्त पद विरूद्ध शाला प्रभारी द्वारा विद्यालय में उपस्थित कराए गये अतिथि शिक्षकों की "हमारे शिक्षक ऐप" के माध्यम से ऑनलाईन ई-अटेंडेंस के आधार पर मानदेय भुगतान के निर्देश दिये गये थे। कतिपय अतिथि शिक्षकों द्वारा सूचित किया गया है, कि मानदेय भुगतान नही हुआ है। अतः अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि **प्रतिमाह की 5 तारीक तक** अनिवार्यतः अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान हो जाए। विलम्ब की स्थित में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। सहज संदर्भ हेतु मैन्युअल की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयसीमा में करना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्र./ अतिथि शिक्षक / 2025-26/ 284 भोपाल, दिनांक– 4/9/2025

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. की ओर सूचनार्थ भेजकर लेख है कि 10 सितम्बर तक जुलाई एवं अगस्त 2025 के मानदेय भुगतान की कार्यवाही पूर्ण करवाकर प्रमाणीकरण भेजें कि समस्त अतिथि शिक्षकों का नियमानुसार भुगतान कर दिया गया है।
8. समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय) स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
9. Nicsi भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं समयसीमा में पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner